

SHRI JAGJIVAN RAM : There is nothing to hide or withhold from the House. I welcome a committee of this House to go into it, but the only thing I submit for your consideration is that the defamation case arising out of this is pending against Mr. Limaye.

श्री मधु लिमये : ये चार महीने से ऐसा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तक इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन रेस्पॉन्सिबल होता है ?

SHRI JAGJIVAN RAM : I am not suppressing anything. What is this howling ? He is not allowing me to complete the sentence. I have nothing to hide and I welcome the setting up of a committee of this House by you Sir, to go into this. The only thing to be taken into consideration by you is the defamation case pending against the hon. Member. (*Interruptions*)

SHRI NATH PAI : That is totally different.

SHRI JAGJIVAN RAM : Parliament is being taken advantage of in order to vitiate the proceedings in that defamation case. (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : चोरों को पकड़ने के लिए यह पार्लियामेन्ट है।

SHRI JAGJIVAN RAM : Again I repeat, Sir, that I welcome the formation of a Committee of the Members of this House to go into this entire question. The only thing to be considered by you, Sir, is that by this process the proceedings in the defamation case are not vitiated (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : उस से तो अदालत को मदद मिलेगी।

MR. SPEAKER : Let us proceed now to the next question.

SHRI HEM BARUA : Sir, what is your ruling on Shri Nath Pai's point ?

MR. SPEAKER : I am not going to give any ruling now.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, नाथ पाई जी ने जो सुझाव दिया है उस पर फैसला होना चाहिये।

MR. SPEAKER : I cannot give any ruling off-hand. I will take my time. It is my right.

श्री मधु लिमये : आप विचार करेंगे ?

MR. SPEAKER : The Minister has also asked for it. But even if both of you agree on an issue it is not for the Speaker to jump into it. I must see how deep it is.

श्री मधु लिमये : आप विचार करेंगे तो ठीक है।

Strike and Lock-Outs in Govt. of India Office's Undertakings

*1176. **SHRI R. S. VIDYARTHI :** Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of strikes/lock-outs recorded during the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 upto February, 1968 in various Offices of the Government of India Undertakings along with their names ;

(b) the reasons in each case and the assurances given by Government in respect of their demands ;

(c) the number of persons working in those Offices against whom legal action is pending due to their participation in strikes; and

(d) the loss of working days and the estimated damage to Government property as a result of those strikes ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) :

(a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

श्री रा० स्व० बिस्वासी : मन्त्री महोदय ने जवाब में लिखा है कि सूचना एकत्र की जा रही है तो उसमें कितना समय लगेगा, 21 दिन पहले तो मैंने प्रश्न दिया था।

SHRI HATHI : I shall try to get the information as quickly as possible.

SHRI S. M. BANERJEE : I would like to know from the hon. Minister whether the Labour Ministry or the Labour Minister is aware that there is a lock-out in HAL, Bangalore and BEL, Bangalore for, the last so many days and, if so, when the Defence Ministry is not trying to solve this problem, may I know whether the central labour machinery will be utilised to solve the problem? If it is not going to be utilised, may I know the reasons for the same?

SHRI HATHI : This question really does not arise out of this. However, as the hon. Member very well knows industrial relation in public sector undertakings is not in the central sphere. It is with the State Government and not with the Central Government. Therefore, the industrial machinery of the Central Government would not operate there.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, my question is different. There is a lock-out in HAL. The Defence Minister does not even make a statement here. Of course, he is trying to do his best. Here is a question about strikes and lock-outs in Government of India undertakings. This is one of the Government of India undertakings. In the absence of a definite stand on the part of the Defence Ministry, may I know whether the Labour Minister will intervene in the matter and see that the lock-out is lifted?

SHRI HATHI : It is true that the question is about the number of strikes and lock-outs. Therefore, I would certainly get this information from the Defence Ministry. So far as the suggestion that officers of the Labour Ministry should go and take up the matter under their jurisdiction is concerned, it is not possible because it is not a matter falling under the central sphere. But we can certainly use our good offices and discuss this matter. That is a different thing altogether.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र में जो हड़तालें होती हैं वह अधिकतर, वहाँ के अफसरों का ठीक व्यवहार

न होने के कारण ही होती हैं और कुछ जो उनकी मांगें होती हैं उनके पूरी न होने के कारण होती हैं, तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों को हल करने के लिये सरकार कौन से विशेष कदम उठा रही है ताकि इस प्रकार की बातें वहाँ कार्यालयों में ही बैठकर निपटा दी जाये और उन बातों की सूचना आप सभी राज्यों में कब तक भेजेंगे?

श्री हाथी : जो स्ट्राइक्स और लाक-आउट्स होती हैं, वह मैनेजमेन्ट और वर्कर्स के सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण ही ज्यादातर होती हैं, यह बात सही है। कुछ बात ऐसी हैं जिसमें सम्बन्ध की बात नहीं होती है, वह कुछ मांगते हैं और वह दे नहीं सकते तो स्ट्राइक होती है। लेकिन जहाँ तक मैनेजमेन्ट का ताल्लुक है, मैं सहमत हूँ कि उनका वर्कर्स के साथ अच्छा सम्बन्ध होना चाहिये और इसके लिये हम कोशिश भी कर रहे हैं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि बंगलौर में जो लाक-आउट चला है उसके सिलसिले में मालिकों की ओर से अथवा मजदूरों की ओर से आपके पास कोई निवेदन आया है? यदि आया है तो उस पर आप क्या कर रहे हैं?

श्री हाथी : अभी तक नहीं आया है।

श्री कंबर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मिल मालिक तो केवल अपने मुनाफ का ह्याल रखते हैं इसलिये हड़तालें ज्यादा होती हैं लेकिन जो पब्लिक सेक्टर हैं उसमें भी अधिक मात्रा में हड़तालें हो रही हैं, पिछले एक दो सालों में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया उसके दो कारण होते हैं, एक तो यह कि मैनेजमेन्ट कानून के अन्तर्गत ठीक से व्यवहार नहीं करता दूसरे कई बार लेबर भी ज्यादा मांगें करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने पब्लिक सेक्टर के मैनेजमेन्ट को कोई खास

इंस्ट्रक्शन्स दिये हैं कि वे इन-इन नियमों या इस कान्डक्ट का पालन करें जिससे हड़तालें न होने पाये या कम से कम हों ? अगर दिये हैं तो वे क्या हैं और अगर नहीं दिये हैं तो क्यों नहीं दिये हैं ?

श्री हाथी : इंस्ट्रक्शन्स भी दिये हैं और उनके साथ बैठकर हम इन बातों पर विचार विमर्श भी करते हैं। 18 तारीख को हमने पब्लिक अन्डर टैकिंग के अपसरों की एक मीटिंग रखी है।

श्री कंबर लाल गुप्त : इंस्ट्रक्शन्स क्या दिये हैं ?

श्री हाथी : इंस्ट्रक्शन्स की तो बहुत लम्बी चौड़ी बात है, उसको यहाँ पर नहीं कहा जा सकता लेकिन उसमें खास करके दो तीन बातें हैं। पहले तो यह जब कोई डिमान्ड हो तो उनको ज द से जन्द देखना चाहिये। क्योंकि जब डिमान्ड नहीं देखने हैं तभी ग्रीवान्स होती है। जब ग्रीवान्स को नहीं देखने हैं तभी डिसप्यूट होता है, और जब डिसप्यूट साल्व नहीं होता है तभी स्ट्राइक होती है। इसलिये उस पर जल्दी से जल्दी कदम उठाकर और साथ बैठकर तय करना चाहिये।

श्री शिव नारायण : मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सारी यूनियनों को तोड़ कर, एक इन्डस्ट्री में एक यूनियन बनाने की तरफ वह कब तक कदम उठायेंगे ?

श्री हाथी : एक इन्डस्ट्री एक यूनियन की बात पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री मुहम्मद इस्माइल : हमारे केन्द्र के मन्त्री महोदय हमेशा यही बात कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेन्ट देखेगी, जो लेबर डिपार्टमेन्ट है वह देखेगा लेकिन देखता कोई नहीं है और स्ट्राइक हो जाती हैं। अभी रांची में क्रोन-मेन ने नोटिस दी है, स्ट्राइक चल रही है और करीब करीब सारी फ़ैक्टरी बन्द होने वाली है। मैं जानना

चाहता हूँ कि आखिर सेन्ट्रल लेबर मिनिस्ट्री का फंक्शन क्या है ? खाली यह बोल देना कि स्टेट गवर्नमेन्ट करेगी या लेबर आफिसर करेगा ? फिर यहाँ की मिनिस्ट्री क्या करेगी ? कम से कम पब्लिक अन्डरटैकिंग में इन्टरवीन करने के लिये आप कौन सा बन्दोवस्त कर रहे हैं ?

श्री हाथी : हम चाहते हैं कि सभी पब्लिक अन्डरटैकिंग में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स मेनटेन कर सकें लेकिन अभी तक जो कानून है उनके अनुसार इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट ऐक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह स्टेट गवर्नमेन्ट करती है। हमारी यह कोशिश है कि अभी जो 19 तारीख की मीटिंग बुलाई गई है उसमें वह बातें रखें कि पब्लिक अन्डरटैकिंग के जो इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट हैं वह यहाँ आ जायें।

श्री एस० एम० जोशी : मैं मन्त्री महोदय, से जानना चाहूंगा कि चूंकि हमारे शासन की नीति भगड़ों के फैसला करने में वालियंटरी आरविट्रेशन की है तो जब वह प्राइवेट सैक्टर में रहते हैं तो यह वालियंटरी बन नहीं पाते हैं अब अगर हमारी हुकूमत की नीति वालियंटरी आरविट्रेशन की है तो फिर पब्लिक सैक्टर में वालियंटरी आरविट्रेशन के जरिए इन भगड़ों का फैसला क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री हाथी : वालियंटरी आरविट्रेशन की नीति तो है और उस दिशा में जितनी कोशिश हम कर सकते हैं वह हम करते हैं लेकिन हमें इसमें खास कामयाबी नहीं हो रही है।

श्री एस० एम० जोशी : वालियंटरी आरविट्रेशन में दोनों पार्टियों को ऐग्री करना चाहिए यह सरकार की और उनकी नीति है। अब जब मजदूर चाहते हैं कि यह वालियंटरी आरविट्रेशन हो तो जो मालिकान है वह इस वालियंटरी आरविट्रेशन के लिए क्यों नहीं ऐग्री करते हैं ?

श्री हाथी : मजदूर भी नहीं मानते हैं।

अभी मैंने एक मीटिंग हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सब यूनिवर्सिटी की बुलाई थी। मैंने जर्मैट ने तो कह दिया था कि वह इन वालियैटरी आर-बिट्रेशन को मानेंगे लेकिन एक यूनिवर्सिटी ने इसे नहीं माना और उन्होंने यह लिखा :

"We cannot agree that in all cases it should be voluntary arbitration."

MR. SPEAKER : Before I take up the Short Notice Question I would like to have a little clarification, regarding Q. 1174. Shri Madhu Limaye wants a committee to be appointed. The Minister also wants a committee to be appointed. So also Shri S.M. Banerjee and others. But what is the committee for? A little clarification is needed.

SOME HON. MEMBERS rose—

MR. SPEAKER : Not now. I do not want anybody to make a speech just now. Let them all write to me. The Minister may also give me the details. What is the committee for and what are its terms? They should enlighten me on this point.

SHORT NOTICE QUESTION

चीनी के मूल्य में वृद्धि

+

20. श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री हेम बरुआ :

श्री बेणो हांकर झर्मा :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ दिनों में चीनी का मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिल मालिकों ने चीनी बेचनी बन्द कर दी है और वे अपने स्टॉक जमा कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो मिल-मालिकों की इस

कार्यवाही की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) and (b). The prices of sugar had risen by about Rs. 70 to Rs. 85 per quintal during the period 30th March to 2nd April, 1968. Sugar mills might have deferred sales during the period in the expectation of prices going up.

(c) In order to bring down the prices of sugar, Government have banned the use of gur for production of alcoholic liquors and have released an additional quantity of 24,000 tonnes of sugar for sale in the open market and another quantity of 10,000 tonnes to State Governments to meet the present additional demand. As per Government orders it is incumbent on sugar factories to sell and deliver sugar within a period of 30 days from the date of release.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा मन्त्री महोदय ने मूल प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि उन्होंने उस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की है तो उसके बाद चीनी के दाम करीब 70-80 रुपये क्विंटल नीचे हो गये थे लेकिन अब मैं आपके जरिए से मन्त्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि इन पिछले 6-7 दिनों में चीनी के दाम फिर 70 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गये हैं और फिर चीनी के दाम रोजाना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आज चीनी का भाव 425 रुपये क्विंटल है। अभी चीनी का सीजन है और सीजन में अगर उसका यह भाव है तो जब चीनी का सीजन खत्म हो जायेगा और जुलाई, अगस्त का महीना आयेगा तब तो पता नहीं उसकी कीमत कितनी और अधिक बढ़ जायेगी। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि वह एक महीने के अन्दर बेच सकते हैं तो उसमें हो यह रहा है कि वह अपने ही को बोगस नामों पर